न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी मुनिदेव यादव आर.ए.एस.

<u>अपील सं. 06/19</u>

1. रामेश्वर पुत्र रमन लाल] माता सोमोती पुत्री राम किशन
2. दाऊजी पुत्र रमन लाल] जाति ब्राह्मण नि० भगौसा तहसील गोवर्धन जिला मथुरा (उ०प्र०)

...अपीलांट्स

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत पालका पं.स. नगर उप तहसील सीकरी तहसील नगर (भरतपुर) राज०

2. उप तहसीलदार, उप तहसील सीकरी तह. नगर (भरतपुर)

...रेस्पोंडेन्टस

अपील विरुद्ध दाखिल खारिज सं. 2048 तारीखी 05-9-2017 द्वारा ग्रा० पं. पालका अन्तर्गत धारा 75 राज० भू. राजस्व अधि०

<u>उपस्थित</u>

1. श्री दीन दयाल गर्ग अधिवक्ता अपी०

<u>निर्णय</u> दिनांक 22.11.19

अपीलान्टस द्वारा यह अपील नामा. सं. 2048 पालका के निर्णय दिनांक 05-9-17 सरपंच ग्राम पंचायत पालका के निर्णय से व्यथित होकर उक्त आशय की प्रस्तुत की है कि आ.नं. $\frac{342}{0.16}$, $\frac{371}{0.43}$, $\frac{372}{0.37}$ वाके ग्राम पालका मे मृतक राम किशन पुत्र कुन्दन का 1/5 हि० का रिकार्ड खातेदार दर्ज था, जिसका देहांत हो जाने के बाद विरासत का नामा. सं. 2048 दर्ज किया. जिसमें अंकित सजरा मे सोमोती के सजरा मे रमनलाल के स्थान पर रामेश्वर अंकित होना है, रमन लाल गलत अंकित किया है क्योंकि रमन लाल मृतक सोमोती का पति था. इसी प्रकार मृतक सोमोती का पुत्र दाऊदयाल गलत अंकित कर दिया उसका सही नाम दाऊजी है। इस प्रकार रमन लाल के स्थान पर-

रामेश्वर पुत्र रमनलाल तथा दाऊदयाल के स्थान पर दाऊजी पुत्र रमनलाल अंकित होना है। यह इन्द्राजात सहवन से विरासत के सजरा में गलत अंकन हो गया है जिसकी जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 03-6-19 को नकल दाखिल लेने से जानकारी में आया है इससे पूर्व उक्त गलत इन्द्राज का इल्म अपीलांट्स को नहीं था। सौमोती के विरासत के सजरा में पुत्र रमेशचन्द एवं पुत्र नेतराम के नाम का सही अंकन हो रहा है तथा अपीलान्टस रामेश्वर के स्थान पर रमनलाल पिता का नाम अंकित हो गया है जबकि रामेश्वर का नाम दर्ज होना है तथा अपी० सं० 2 दाऊजी नाम सही है सहवन से दाऊदयाल गलत दर्ज हो गया है। उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 03-6-19 को दा० खा० की नकल लेने पर हुई जिसकी जानकारी से अन्दर 30 योम अपील पेश है। तथा दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रा० पत्र अलग से पेश है। अंत में निवेदन किया है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर दा० खा० सं० 2048 तारीख़ी 05-9.17 में सजरा में अंकित रमनलाल के स्थान पर रामेश्वर तथा दाऊदयाल के स्थान पर दाऊजी किया जाकर नायब तहसीलदार बीकरी को दुरुस्ती हेतु आदेश फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टस को तलब किया गया तथा हल्का नामान्तरकरण सं० 2048 ग्राम पालका तलब किया गया।

हमने अपीलान्टस के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली एवं हल्का नामांतरकरण का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्टस ने उक्त नामांतरकरण की जानकारी दि० 03-6-19 को होना जाहिर किया है, जिसकी पुष्टि पत्रावली में शामिल नकल नामा० सं० 2048 से होती है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अदिम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाती है। नकल नामान्तरकरण सं० 2048 के अवलोकन-

(भरतपुर) अधिकारी

रामेश्वर वगै० V/S सरपंच ग्रा०पं० पालका
अपील सं 6/19

3.

से साबित होता है कि यह जमा० सं 2048 वाके ग्राम पालका मृतक राम किशन की विरासत का दर्ज किया गया है तथा जमा० पर अंकित सजरा में राम किशन के पुत्र खेमचंद पुत्री रेशम व सोनमोती अंकित है जिनमें सोनमोती की मृत्यु होना अंकित है तथा उसके वारिसान में 4 पुत्र सुरेशचन्द, रमन लाल, नेतराम, दाऊदयाल दर्ज किये गये है जिसकी बाबत अपी० ने रमन लाल व दाऊदयाल का नाम गलत दर्ज होना बताया है सही नाम क्रमशः रामेश्वर व — दाऊजी है जिनके समर्थन मे आधार कार्ड सं 749050759837 रामेश्वर पुत्र रमन तथा आधार कार्ड सं 7140 5440 6163 ~~[illegible]~~ दाऊजी पुत्र रमन की फोटो प्रतियां एवं अपने भाईयों सुरेशचन्द व नेतराम के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये है। उक्त प्रकार नामांतरकरण मे अंकित सजरा मे सोनमोती के — वारिसान के नाम मे अंतर पाया जाता है जिनकी जाँच किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामा० सं 2048 वाके ग्राम पालका का निर्णय दिनांक 05-9.17 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार नगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक राम किशन की मृतक पुत्री सोनमोती के वारिसान की जाँच कर नामांतरकरण का विधिवत — निस्तारण करें। निर्णय की प्रति मूल नामान्तरकरण के साथ पालना हेतु तहसीलदार नगर को भिजवाई जावे।

(मुकेश [illegible] यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज.

निर्णय आज दिनांक 22.11.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश [illegible] उपखण्ड अधिकारी)
नगर (भरतपुर) राज.